राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या–816/2014/जोधपुर
अपील संख्या–817/2014/जोधपुर

मैसर्स सुरेश इलेक्ट्रोनिक्स
9 सी, सरदारपुरा, जोधपुर। ...अपीलार्थी

बनाम

1.उपायुक्त (अपील्स) प्रथम, जोधपुर
वाणिज्यिक कर, जोधपुर,
2.वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वृत प्रतिकरापवंचन, जोधपुर। ...प्रत्यर्थीगण

खण्डपीठ
श्री नत्थूराम, सदस्य
श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :
अनुपस्थित ....अपीलार्थी की ओर से
श्री जमील जई
उप राजकीय अभिभाषक ....प्रत्यर्थीगण की ओर से

निर्णय दिनांक : 11.09.2017

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह दोनों अपीलें अपीलीय प्राधिकारी, जोधपुर–प्रथम, वाणिज्यिक कर, जोधपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित संयुक्त आदेश दिनांक 14.02.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, वाणिज्यिक कर जोधपुर (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान विक्रय कर अधिनियम 1994 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा क्रमशः 29 वर्ष 1995–96 एवं धारा 29, 55, 61, 65 वर्ष 1996–97 में पारित क्रमशः आदेश दिनांक 21.04.2001 एवं 03.10.2001 को अपीलीय अधिकारी ने प्रकरणों को पुनः जांच हेतु प्रतिप्रेषित किये है जिसके विरूद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपीलें प्रस्तुत की गई है।

2. उक्त दोनों अपीलो में विवादित बिन्दू समान होने एवं एक ही व्यवहारी से संबंधित होने के कारण इनका निष्पादन एक संयुक्त आदेश से किया जा रहा है, निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जावे।

3. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी फर्म का सर्वेक्षण दिनांक 12.06.1997 को सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट तृतीय वृत प्रतिकरापवंचन, जोधपुर द्वारा किया गया था। सर्वेक्षण के दौरान व्यवसाय स्थल पर व्यवसाय से संबंधित दस्तावेज एवं अन्य लूज पेपर्स अभिग्रहित किए गए जिसमें वर्ष 1995–96 एवं 1996–97 से संव्यवहार की बहियात थी। इन अभिग्रहित दस्तावेजों की जांच की गयी एवं तैयार की गयी ऑडिट रिपोर्ट के संबंध में सशक्त अधिकारी द्वारा नोटिस प्रस्तावित किया जाकर दोनों वर्षो में बिक्री पर कर, ब्याज एवं शास्ति का आरोपण किया गया। सशक्त अधिकारी के उक्त आदेशों से व्यथित होकर, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रथम अपीलें अपीलीय अधिकारी के समक्ष पेश करने पर, अपीलीय

लगातार.....2

अधिकारी ने अपीलार्थी व्यवहारी की अपीलें स्वीकार कर, अपने संयुक्त आदेश दिनांक 14.02.2014 द्वारा प्रकरणों को पुनः जांच हेतु, सशक्त अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर दिये। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर, अपीलार्थी–व्यवहारी फर्म द्वारा यह दोंनो अपीलें प्रस्तुत की गई है, जिनका विवरण निम्नानुसार सारणी में दर्शाया जा रहा है:–

अपील सं.	अपीलीय अधिकारी के प्रकरण सं.	कर निर्धारण आदेश व वर्ष	कर	ब्याज	शास्ति	योग
816/14	45/RST/JUC/12–13	21.04.01 (95–96)	730107	963741	776784	2470632
817/14	46/RST/JUC/12–13	03.10.01 (96–97)	753803	904564	863310	2521677

4. उभय पक्ष की बहस सुनी गयी।

5. अपीलार्थी व्यवहारी एवं उनके अधिकृत अभिभाषक बावजूद सूचना के बहस के दौरान अनुपस्थित रहे है। उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाकर, विभाग के विद्वान उप राजकीय अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गयी।

6. प्रत्यर्थी–विभाग के विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने सशक्त अधिकारी के आदेशों में कायम मांग को उचित ठहराते हुए, अपीलार्थी–व्यवहारी फर्म की अपीलें अस्वीकार करने का निवेदन किया।

7. हमने प्रत्यर्थी–विभाग के विद्वान उप राजकीय अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी, पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया। रेकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी फर्म का सर्वेक्षण दिनांक 12.06.1997 को किया गया था सर्वेक्षण के समय जांच अधिकारी द्वारा सर्वेक्षण रिपोर्ट शीट संख्या 0016116 भरी गयी थी जिसमें पूर्ण विवरण दर्ज किया गया था। शीट में जांच अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये थे एवं श्री सुरेश पुत्र श्री मिर्चूमल के भी हस्ताक्षर करवाये गए है। व्यवसाय स्थल पर अभिग्रहित किये गये दस्तावेजों की सम्पूर्ण विगत exibit 1 से 48 तक प्रविष्टि करते हुए जांच अधिकारी एवं सर्वे के समय उपस्थित सभी अधिकारियों के हस्ताक्षर करवाये गए थे एवं जाच के समय उपस्थित प्रोपराइटर के पुत्र श्री सुरेश एवं गवाह के रूप में प्रोराइटर के पुत्र श्री मनोज एंव पौत्र श्री अनिल के हस्ताक्षर करवाये गये थे। इसके अलावा धारा 77(4) के तहत जो अभिग्रहण मीमो बनाया गया था उस पर भी श्री सुरेश एवं दो स्वतंत्र गवाहो के हस्ताक्षर करवाये गये थे। सर्वेक्षण कार्यवाही अपीलार्थी के व्यवसाय स्थल पर की गयी थी एवं प्रोराइटर के पुत्र श्री सुरेश की मौजूदगी में कार्यवाही की गयी थी। प्रोराइटर के एक अन्य पुत्र श्री मनोज एवं पौत्र श्री अनिल भी गवाह के रूप में मौजूद थे एवं उनके हस्ताक्षर सहित अभिग्रहित मीमो पूर्ण विवरण सहित बनाया गया था। सर्वेक्षण के पश्चात् अभिग्रहित बहियात की विस्तृत रूप से ऑडिट रिपोर्ट तैयार की गयी थी एवं स्पष्टीकरण हेतु अपीलार्थी व्यवहारी को नोटिस जारी किया गया परन्तु अपीलार्थी द्वारा नोटिस के विरूद्ध माननीय राजस्थान कराधान अधिकरण एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की एकलपीठ एवं उसके पश्चात्

लगातार.....3

खण्डपीठ में नोटिस को चुनौति की गयी। माननीय राजस्थान कराधान अधिकरण द्वारा नोटिस के विरूद्व Proceeding स्टे कर दी गयी थी। उसके पश्चात् माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा दिनांक 23.03.2001 को कर निर्धारण किये जाने के आदेश दिये गये एवं Proceeding पर स्टे खारिज कर दिया गया था तब वर्ष 1995–96 का कर निर्धारण आदेश दिनांक 21.04.2001 को एवं वर्ष 1996–97 का कर निर्धारण आदेश दिनांक 03.10.2001 को पारित किया गया।

8. अपीलार्थी का अपील में मुख्य आधार यह था कि सर्वेक्षण के समय फर्म के प्रोपराईटर श्री मिर्चूमल उपस्थित नहीं थे एवं उन्हे बुलाया नहीं गया था। सर्वेक्षण के दौरान दो स्वतंत्र गवाहों के हस्ताक्षर करवाना बताया है परन्तु जब प्रोपराईटर उपस्थित ही नहीं हुए थे तो किसी गवाह का कोई कार्य आरम्भ नहीं होता। अपीलार्थी व्यवहारी को विधिवत सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है। अपीलार्थी फर्म केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के तहत पंजीकृत नहीं थी व उनके द्वारा अर्न्तराज्यीय क्रय विक्रय नहीं किया गया था न ही ऐसा कोई साक्ष्य या प्रमाण सर्वे या ऑडिट रिपोर्ट में दिया गया है। करारोपण इस आधार पर नहीं किया जा सकता कि व्यवहारी द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये है क्योंकि अधिनियम 1994 की धारा 16(2) के अन्तर्गत तथ्य प्रमाणित किये जाने का दायित्व विभाग का है। स्टाक का मिलान लेखा पुस्तकों से हो रहा था। फर्म द्वारा कर चुका माल खरीद कर विक्रय किया गया है। दो गवाहों में से अन्य पुत्र श्री वासुदेव अव्यस्क था जिसकी गवाही विधिसम्मत नहीं मानी जा सकती। विचाराधीन प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा उठाये गये बिन्दु प्रक्रिया से सम्बन्धित है। अपीलीय अधिकारी ने कर निर्धारण अधिकारी के आदेश अपास्त कर प्रकरण कुछ निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किये है। अपीलीय अधिकारी ने कर चुके माल के सम्बन्ध में खरीद बिलों की जांच कर समुचित राहत प्रदान करने के निर्देश दिये है। अभिग्रहित रिकार्ड से ऑडिट रिपोर्ट की प्रति पर व्यवहारी का जवाब प्राप्त कर प्रत्येक बिन्दु पर जांच कर करारोपण, ब्याज व शास्ति की कार्यवाही हेतु निर्देशित किया है। इस प्रकार अपीलार्थी ने जिन बिन्दुओं को विवादित किया है उन बिन्दुओं पर पुनः सुनवाई होकर निर्णय पारित होना है तथा अपीलार्थी व्यवहारी इन बिन्दुओं के सम्बन्ध में अपना पक्ष कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। इस प्रकार अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण प्रतिप्रेषित कर पुनः सुनवाई कर निर्णय पारित करने हेतु कर निर्धारण अधिकारी को निर्देशित किया है जिसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

9. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीलें अस्वीकार की जाती है।

10. निर्णय सुनाया गया।

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य

(नत्थूराम)
सदस्य